विश्व बैंक संपोषित परियोजनाओं के अंतर्गत राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद् (SCERT) महेन्द्रू, पटना, बिहार के दिनांक–03.05.2019 का निरीक्षण प्रतिवेदन :–

उपस्थिति :–

(i) डॉ० मो० इम्तियाज.आलम, विभागाध्यक्ष, DDE (प्रभारी) SCERT, पटना।
(ii) श्री अजय कुमार, कार्यपालक अभियंता, BSEIDC, पटना।
(iii) श्री पंकज सिन्हा, वरीय वास्तुविद्, BSEIDC, पटना।
(iv) श्री मनोज रंजन, सहायक अभियंता, BSEIDC, पटना।
(v) श्री सतीश श्रीवास्तव, कनीय अभियंता, BSEIDC, पटना।
(vi) श्री रजनीश कुमार, कनीय अभियंता, BSEIDC, पटना।
(vii) श्री आनन्द कुमार, PMU-SCERT, पटना।
(viii) श्री अभिशेक कुमार चौबे, PMU- SCERT, पटना।
(ix) श्री कन्हैया कुमार, PMU- SCERT, पटना।
(x) श्री साकेत कुमार, संवेदक–सर्वेश्वर कुमार ओझा के प्रतिनिधि।

दिनांक–03.05.2019 को राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद् (SCERT), महेन्द्रू, पटना, बिहार का मुख्य परामर्शी (तकनीकी) द्वारा निरीक्षण किया गया एवं वस्तुस्थिति निम्नवत् है :–

(1) मुख्य परामर्शी (तकनीकी) द्वारा निदेशक, शोध एवं प्रशिक्षण परिषद् कार्यालय को SCERT परिसर कार्यालय में स्थानांतरित कराने हेतु कार्य वर्तमान में संवदेक (श्री सर्वेश्वर कुमार ओझा) द्वारा कराया जा रहा है। निदेशक, शोध एवं प्रशिक्षण, बिहार द्वारा उप निदेशक के कक्ष में बैठने के स्थान के Layout में आंशिक परिवर्तन हेतु अनुरोध किया गया है। स्थल पर संवेदक एवं संबंधित अभियंताओं को आवश्यक दिशा–निर्देश दिया गया।

(2) प्रथम तल पर अवस्थित ''अधिवेशन कक्ष'' (19′ x 16′) का निरीक्षण किया गया एवं इसका refurbishment कार्य कराया जाना है। निर्णय लिया गया है कि वर्तमान में चल रहे कार्य (निदेशक, शोध एवं प्रशिक्षण, बिहार कार्यालय shifting) की शेष राशि में से इस कार्य को कराया जाय।

(3) प्रथम तल पर अवस्थित ''शौचालय'' में महिलाओं के लिए व्यवस्था नहीं है। निदेश दिया गया कि इसी शौचालय में महिलाओं के लिए एक अलग खण्ड (Unit) का निर्माण कराया जाय। इस संबंध में संबंधित अभियंताओं को आवश्यक दिशा–निर्देश दिया गया।

0/c

(4) भूतल पर अवस्थित विभिन्न कक्षों का निरीक्षण किया गया। आवश्यकतानुसार निम्नलिखित निदेश दिये गये :–

(i) कक्ष संख्या–02 एवं 03 का refurbishment कार्य (यथा AC लगाना, सीसा बदलना, फर्नीचर बदलना, दरवाजा आदि) कराने हेतु प्राक्कलन तैयार करना है।
(ii) श्रीमती मंजू लाल, संयुक्त निदेशक(डायट), SCERT, पटना के कार्यालय कक्ष के खिड़की का repairing अथवा replacement एवं AC लगाने का कार्य।
(iii) श्री मो० इम्तियाज आलम के कार्यालय कक्ष में 02 split AC, 01 मीटिंग टेबल एवं 01 LED का प्रोविजन करना है।
(iv) कक्ष संख्या 101 में 06 वर्क स्टेशन का प्रोविजन करने हेतु कार्य।
(v) कक्ष संख्या 104 एवं 105 का refurbishment का कार्य।
(vi) कक्ष संख्या–103 (अधिवेशन कक्ष) का refurbishment (Ceiling एवं LED Light, wall panelling/acoustics रूम साईज के अनुसार AC का प्रोविजन बैठक हेतु पर्याप्त फर्नीचर, LED TV, खिड़की एवं दरवाजा का replacement, Audio/Video Conference सिस्टम आदि कार्य को कराना है।

(5) गेट से पोर्टिको तक PCC रोड तिरछा पाया गया है जिसको सीधा करने का निदेश श्री सतीश श्रीवास्तव, कनीय अभियंता को दिया गया।

(6) परिसर में सड़क के किनारे Kerb के बाद पौधा के लिए क्यारी बनाने का निदेश दिया गया।

(7) परिसर में सड़क निर्माण कार्य के संबंध में श्री मो० इम्तियाज आलम द्वारा जानकारी दी गई कि वर्त्तमान में नवनिर्मित सड़क पर जगह–जगह पानी लग जाता है जिसे ठीक कराने की आवश्यकता है। कार्यपालक अभियंता को समुचित कार्रवाई करने का निदेश दिया गया।

(8) वरीय वास्तुविद् द्वारा नाला के उचित निकासी कराने हेतु Contour Survey कराने की आवश्यकता जताई गई जिसकी सहमति सभी के द्वारा दी गई।

(9) मुख्य सड़क (अशोक राजपथ) के पास अवस्थित मुख्य गेट को PCC द्वारा मुख्य सड़क से जोड़ने का निदेश दिया गया यदि किसी प्रकार की अनुमति की आवश्यकता होगी तो स्वयं कार्यपालक अभियंता BSEIDC, कार्यपालक अभियंता नई राजधानी, पथ प्रमंडल, पटना से वार्त्ता कर समस्या का निराकरण करेंगे।

(10) मुख्य द्वार (अशोक राजपथ साईड) के पास पुराने सड़क का सामग्री फेंका हुआ पाया गया है। उपस्थित कर्मियों द्वारा बताया गया कि वर्तमान में नवनिर्मित सड़क निर्माण के संवेदक द्वारा पूर्व में निर्मित सड़क को Scarify (उखाड़ना) किया गया है एवं Scarified सामग्री को वहाँ पर डंप कर दिया गया है निदेश दिया गया कि संबंधित अभियंता Scarified सामग्री को संवेदक से हटवाने की कार्रवाई करेंगे।

(11) उपस्थित कर्मियों द्वारा बताया गया कि चहारदिवारी. काफी नीचा है जिससे बाहरी तत्वों का प्रवेश सुलभ है जिसपर मुख्य परामर्शी (तकनीकी) द्वारा चहारदिवारी के ऊपर ग्रिल लगाने हेतु प्राक्कलन बनाने का निदेश दिया गया।

(12) प्रशासनिक भवन के मुख्य द्वार से चबूतरा तक एक पोर्टिको का निर्माण कराने का कार्य किया जाना है, जिसे नये बनने वाले ..प्राक्कलन में जोड़ने का निदेश दिया गया है।

सामान्य नोटः– **निरीक्षण के दौरान दिये गये सभी निदेशों के अनुपालन की स्वीकृति इस शर्त पर दी जाती है कि अतिरिक्त कार्यो का प्राक्कलन प्रशासनिक स्वीकृति (Centage की राशि को घटाकर) की राशि के अंदर हो।**

निरीक्षण कार्य सम्पन्न हुआ।

ह० 10-5-2019

(ब्रजेश प्रसाद)
मुख्य परामर्शी (तकनीकी)
BSEIDC, पटना।

ज्ञापांक : BSEIDC/TECH/266/2015/- 2841 पटना, दिनांक–10:05:2019

प्रतिलिपिः निदेशक, शोध एवं प्रशिक्षण, शिक्षा विभाग, बिहार/निदेशक, राज्य शिक्षा एवं प्रशिक्षण परिषद्, पटना/ मुख्य अभियंता, BSEIDC, पटना / अधीक्षण अभियंता, BSEIDC, पटना/कार्यपालक अभियंता (मु०), BSEIDC, पटना/डॉ० मो० इम्तियाज आलम, विभागाध्यक्ष, DDE (प्रभारी)/श्री पंकज कुमार सिन्हा, वरीय वास्तुविद्, BSEIDC, पटना /वरीय लेखा पदाधिकारी, BSEIDC, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। प्रतिलिपि श्री पंकज कुमार सिंह, प्रोग्रामर (ICT) को निगम वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

ह० 10-5-2019

मुख्य परामर्शी (तकनीकी)
BSEIDC, पटना।